चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर

में सम्राट अशोक उद्यान के अन्तर्गत निर्मित तीन मंजिला (बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल)

भव्य नीलामी

अंतिम अवसर

18 दुकानों की भव्य नीलामी

क्राफ्ट बाजार में दुकानों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

मुहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि 02.02.2009 से 11.02.2009, दोपहर 2 बजे तक

नीलामी स्थल : राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड सम्राट अशोक उद्यान, मेन पाल रोड़, जोधपुर

क्राफ्ट बाजार का विहंगम दृश्य

क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार व स्थान	भूखण्ड नाप (मीटर में)	भूखण्ड संख्या	आरक्षित वर्ग	न्यूनतम विक्रय दर रू. प्रति दुकान	प्रतिवर्ष लीज राशि रू.
1.	निर्मित दुकान सेक्टर 22 सम्राट अशोक उद्यान, चौपासनी योजना	5.0x10.20	22-S-2, 22-S-5, 22-S-6, 22-S-11, 22-S-12, 22-S-17, 22-S-28, 22-S-29, 22-S-34 से 22-S-36	सभी वर्गो के लिए	3000000/-	67310/-
2.	निर्मित दुकान से. 22 सम्राट अशोक उद्यान, चौपासनी योजना	5.0x10.20	22-S-7, 22-S-16, 22-S-25, 22-S-33	अनु. जाति	3000000/-	67310/-
3.	निर्मित दुकान से. 22 सम्राट अशोक उद्यान, चौपासनी योजना	5.0x10.20	22-S-10, 22-S-23	अनु. जन जाति	3000000/-	67310/-
4.	निर्मित दुकान से. 22 सम्राट अशोक उद्यान, चौपासनी योजना	5.0x10.20	22-S-30 (कॉर्नर)	अनु. जन जाति	3200000/-	69330/-

निर्धारित-प्रपत्र

निविदादाता का नाम : ....

पत्र व्यवहार का पता : ....

....

स्थायी पता : ....

....

दूरभाष/मोबाईल नं.: ....

निर्मित दुकान संख्या (जिसके लिये मुहरबन्द निविदा प्रेषित की जा रही है)

....

योजना का नाम : चौपासनी योजना जोधपुर

सम्बन्धित कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड सम्राट अशोक उद्यान, मेन पाल रोड़, जोधपुर

प्रस्तावित क्रय मूल्य रू. (अंकों में) ....(शब्दों में)..........................

संलग्न राशि रु........................बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक

बैंक का नाम ....

हस्ताक्षर (निविदादाता)

मुहरबन्द निविदा खोलने की तिथि 11.02.09 को समय दोप. 3.00 बजे कार्यालय **खण्ड सम्राट अशोक उद्यान** जोधपुर में।

निविदा प्राप्ति अधिकारी एवं सम्पर्क सूत्र : आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड सम्राट अशोक उद्यान, जोधपुर। फोनः 2002571

नोट : सफल उच्चतम बिड़दाता की सूची कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड सम्राट अशोक उद्यान, जोधपुर, के नोटिस बोर्ड पर दि. 11.02.09 को सायं 4.00 बजे लगा दी जावेगी एवं उच्चतम क्रय मूल्य की 10% राशि 24 घण्टे में कार्यालय में बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी।

मुहरबन्द प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :– 1. नीलामी में निर्मित दुकान क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क्रय राशि दर्शाते हुए मुहरबन्द (चपड़ी द्वारा सील) लिफाफे में कार्यालय खण्ड सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस निर्मित दुकान हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उस निर्मित दुकान का विवरण/नम्बर एवं स्वयं का नाम, पता व टेलिफोन नं. स्पष्ट लिखना आवश्यक है। 2. क्रेता को प्रस्तावित क्रय मूल्य राशि की 5 प्रतिशत राशि का "आवासीय अभियन्ता रा. आ. म. खण्ड सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर" के पक्ष में जोधपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक भी संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त क्रेता को निर्धारित प्रपत्र में अपना सम्पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। 3. केवल चपड़ी द्वारा सील किये गये लिफाफे ही स्वीकृत किये जायेंगे। (टेप, गोंद, ऑलपिन, स्टेपल किये गये लिफाफे मान्य नहीं होंगे)

नीलामी की मुख्य शर्तें :– 1.मुहरबंद प्रस्ताव दिनांक 02.02.2009 से 11.02.2009 दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। 2. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त मुहरबंद प्रस्तावों को खोला नहीं जावेगा एवं ऐसे सभी प्रस्ताव निरस्त समझे जावेंगे। 3. निविदादाता को प्रस्तावित क्रय मूल्य की राशि का 5 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो आवासीय अभियन्ता रा. आ. मा. खण्ड सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रस्ताव के साथ संलग्न करनी होगी। 4. प्रस्तावित क्रय मूल्य के 5 प्रतिशत राशि के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक रहित प्रस्ताव निरस्त किये जावेंगे। चाहे उनमें प्रस्तावित क्रय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हो। 5. सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त किये जायेगे। 6. अधिकतम मूल्य के प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को उच्चतम क्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि 24 घण्टे की अवधि में "आवासीय अभियन्ता रा.आ.म. खण्ड सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर" के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। उक्त निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की अवस्था में यह राशि अगले कार्य दिवस में जमा करानी होगी। 7. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में निविदा खोली नहीं जावेगी। 8. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित दुकानो में संबंधित आरक्षित वर्ग के ही व्यक्ति भाग ले सकेंगे। 9. अनु. जाति एवं अनु. जन. जाति के आरक्षित वर्ग हेतु आवेदन कर्ता को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। 10. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्मित दुकान खरीद सकता है ऐसी स्थिति में निविदादाता को प्रत्येक निर्मित दुकान हेतु अलग–अलग अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अलग–अलग निविदा प्रस्ताव के साथ सलंग्न करना होगा। 11. निविदादाता अव्यस्क व्यक्ति के नाम से भी निर्मित दुकान क्रय करने हेतु निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। 12. मुहरबन्द निविदा में एक से अधिक निविदा समान दर की प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित निविदादाताओं से बन्द लिफाफे में पुनः दर प्राप्त की जावेगी। 13. निविदादाता के अनुपस्थित रहने पर (निविदा खोले जाने के समय) उसका किसी प्रकार का वाद (दरों के सम्बन्ध में) मान्य नहीं होगा। 14. प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मण्डल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा दिनांक 11.02.2009 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय खण्ड सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर में खोले जावेंगे। 15. निविदा स्वीकृति पश्चात् आवंटन पत्र जारी किया जावेगा जिसकी मांग राशि पत्र जारी होने के 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, अन्यथा स्वीकृत निविदा राशि की 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं स्वीकृत निविदा/आवंटन पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। 16. किसी भी मुहरबन्द प्रस्ताव/सभी प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 17. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध निर्मित दुकान हेतु मुहरबंद प्रस्ताव सम्बन्धित निविदा प्राप्ति अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे यदि निर्मित दुकान का प्रस्ताव निर्दिष्ट निविदा प्राप्ति अधिकारी को नहीं देकर किसी अन्य अधिकारी को दिया जाता है तो उसे निरस्त माना जावेगा। 18. आवंटन पत्र में स्वीकृत निविदा की शेष राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियों (लीज मनी, अन्य विविध चार्ज इत्यादि) की भी मांग की जावेगी। 19. निर्मित दुकानें जहां है जैसी है के आधार पर विक्रय की जावेगी। 20. भूतल पर स्थित बरामदा आम जनता के उपयोग के लिए है व मण्डल के कब्जे में रहेगा। 21. दुकान की बाहरी/आन्तरिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। प्रथम तल की छत पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा एवं छत मण्डल के स्वामित्व में रहेगी।

राजस्थान आवासन मण्डल

मुख्य अभियन्ता-II, राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

फोन : 0141-2704371 वेबसाइट : www.rhbonline.com